63

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 191—दो/2005 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 16—11—2004 के द्वारा अपर आयुक्त, होशंगाबाद संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 166/अपील/1999—00

.....

रामलाल पुत्र मोहब्बतसिंह रघुवंशी
निवासी—ग्राम दीपनाखेड़ी तहसील सिरोंज
जिला—विदिशा म0प्र0 ,

.....आवेदक

विरूद्ध

1— नवल सिंह मृत द्वारा वारिसान
1. नव्वीवाई वेवा नवल सिंह
निवासी —ग्राम दीपनाखेड़ा
2. इमरतवाई पुत्री नवल सिंह पत्नि गोटीलाल
निवासी—ग्राम इकोदिया तहसील सिरोंज जिला विदिशा
3. मोकमसिंह पुत्र नवल सिंह
निवासी— ग्राम दीपनाखेड़ी
4. सूरजबाई पुत्री नवल सिंह पत्नि कल्लूसिंह
निवासी —ग्राम इकोदिया तहसील, सिरोंज जिला—विदिशा
5. निरंजन सिंह पुत्र नवल सिंह
निवासी —ग्राम दीपनाखेड़ी तहसील सिरोंज
जिला —विदिशा म0प्र0
6. मीनावाई पुत्री नवल सिंह पत्नि बृजेन्द्रसिंह
निवासी —कोलिंजा तहसील व जिला विदिशा
7. राजेश सिंह पुत्र नवल सिंह निवासी छत्री नाका सिरोंज

2— रामकरण मृत द्वारा वारिसान —
1. श्रीमती इकलावाई वेवा रामकरण
2. राजकुमार पुत्र रामकरण
3. सुकुमारी बाई पुत्री रामकरण
निवासी—ग्राम दीपनाखेड़ी तहसील सिरोंज
जिला—विदिशा, म0प्र0

वलवन्त सिंह मृत वारिसान–

1. श्रीमती भागवतीबाई वेवा वलवन्त सिंह
2. गोमतीवाई पुत्री वलवंत सिंह
   निवासी–ग्राम दीपनाखेड़ी तहसील सिरोंज
   जिला –विदिशा म0प्र0
3. भारतसिंह पुत्र वलवंत सिंह
4. हरिसिंह पुत्र वलवंत सिंह
5. संतोषसिंह पुत्र वलवंत सिंह
6. बृजेश सिंह पुत्र वलवंत सिंह
7. श्रीमती हीराबाई पुत्री वलवंत सिंह
8. श्रीमती मीलती बाई पुत्री वलवंत सिंह
   समस्त निवासीगण –ग्राम दीपनाखेड़ी तहसील सिरोंज
   जिला विदिशा म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1, 7, 9 एवं 10
श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1, 2, 4, 7, 8, 9 व 11

.....

आदेश

(आज दिनांक 4–10–16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त, होशंगाबाद संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 166/अपील/1999–00 माल में पारित आदेश दिनांक 16–11–2004 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि स्व0 बलवंत सिंह ने नायब तहसीलदार, सिरोंज के यहां आवेदन अंतर्गत धारा 110/190 भू–राजस्व संहिता के तहत देकर यह अनुरोध किया कि वादित भूमि पर उसका 35–36 साल से कब्जा चला आ रहा है । वादग्रस्त भूमि पूर्व में भूमिस्वामी कुन्दीलाल ने उसे मौखिक पट्टे पर सरकारी लगान चुकाने की शर्त पर दिया था । उसे अधिपति कृषक के स्वत्व प्राप्त हो जाने के कारण भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये है । अतः उसका नामांतरण किया जावे । विचारण न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 6/अ–46/90–91 में पारित आदेश दिनांक 24.02.97 द्वारा निरस्त किया । रामलाल पुत्र मोहब्बत सिंह ने भी विचारण न्यायालय में विवादित भूमि पर उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पक्षकार बनाने हेतु

...न दिया था तथा उसने भी पूर्व भूमिस्वामी के मौखिक पट्टे पर लगान अदा करने की शर्त पर विवादित भूमि दी जाना बताया । विचारण न्यायालय ने उक्त आदेश द्वारा रामलाल एवं बलवंत दोनों का वाद पत्र निरस्त किया गया । नायब तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध रामलाल ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, सिंरोज के यहॉ कि। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 24.02.97 द्वारा आवेदक की अपील अस्वीकार की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त होशंगाबाद संभाग, भोपाल के समक्ष पेश की गई । अपर आयुक्त होशंगाबाद संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 166/अपील/1999–00 माल में पारित आदेश दिनांक 16–11–2004 से अपील अस्वीकार की गई । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि विधान के विपरीत है । साक्ष्य एवं रिकार्ड के विपरीत आदेश पारित किये गये है। आवेदक को उसका पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने उनके आदेश में साक्ष्य के तथ्यों का विषलेशण नहीं किया । वादग्रस्त भूमि मौखिक अनुबंध के आधार पर बतौर सिकमी विगत 40–45 वर्षों से चले आ रहे है । वादग्रस्त भूमि के सभी प्रकार के देयकों का वह भुगतान करते चले आ रहे है । वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित भूमि स्वामियों ने आज दिनांक तक भूमि का कब्जा प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं किया । फलतः निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ताओं ने तर्क में वही तथ्य उठाये है जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील मेमों में वर्णित है। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालयों के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि आवेदक द्वारा मूल भूमि स्वामी द्वारा पट्टा प्रदान करने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है। आवेदक मौखिक पट्टे की बात कर रहे है । आवेदक ने तर्क में यह बताया कि वह 35–40 वर्ष पूर्व उन्हें निर्वादित भूमि मौखिक पट्टे पर प्राप्त की थी । मौखिक पट्टे के संबंध में कोई भी निर्दिष्ट तारीख का भी आवेदक द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि किस वर्ष या किस तारीख को विवादित भूमि का कब्जा उन्हें

... गया था । कुछ खसरा में जैसा कि विचारण न्यायालय ने उनके आदेश में उल्लेखित किया है कि कब्जा संबंधी इन्द्राज कुछ में है और कुछ में नहीं । कब्जा संबंधी प्रविष्टित से यह विदित नहीं होता है कि विवादित भूमि मौखिक पट्‌टे पर दी गई है । इस प्रकार यदि कब्जे की पृविष्टि भी हो, तब भी यह उपधारण नहीं की जा सकती है कि कब्जा भूमि स्वामी द्वारा प्रदाय किये गये पट्‌टे के आधार पर है । अधिक्रामक रूप से पृविष्ट होने पर भी किसी व्यक्ति का कब्जा अभिलिखित किया जा सकता है तथा कथित मौखिक पट्‌टे संबंध में न तो पट्‌टे की निश्चित समय सीमा के संबंध में और न ही प्रतिफल के संबंध में स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया गया है ।

6/ प्रकरण में दूसरा तथ्य यह भी है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में आवेदक रामलाल व उसका भाई स्व0 बलवंत सिंह दोनों ही मौखिक पट्‌टे के कब्जे के आधार पर अधिपति कृषक होने का दावा कर रहे है । दोनों के मध्य भी उपरोक्त बिन्दु का निराकरण होना आवश्यक है, जैसा कि विचारण न्यायालय ने उनके आदेश में उल्लेख किया है । विचारण न्यायालय द्वारा चूँकि साक्ष्यों की विस्तृत समीक्षा की गई है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज ने उनके आदेश में विस्तृत समीक्षा नहीं की । आवेदक का यह आधार कि उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया, तथ्यों पर आधारित नहीं है । क्योंकि विचारण न्यायालय के प्रकरण अवलोकन से ऐसा कहीं नहीं स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने उसके द्वारा पक्ष प्रस्तुत किये जाने के अनुरोध को नकारा हो । अपर आयुक्त होशंगाबाद संभाग, भोपाल ने भी अपने आदेश दिनांक 16.11.04 से इसकी पुष्टि की है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश समवर्ती होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर